FORM III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

जितेन्द्र कुमार बनाम भूमिधारी

इस्म मुकदमा .... मु.नं. 103 सन् 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
26/2/21	रिपोर्ट अहलमद होकर प्रार्थना पत्र पेश हुआ। वकील प्रार्थी उप0। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थी जारी होकर पत्रावली दि. 08/3/21 को पेश हो। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
08 03/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी जितेन्द्र कुमार व पंकज यादव का शपथ पत्र पेश हुआ। शामिल मिसल किया गया। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 15/3/2021 को पेश हो।	
15 03/2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। बावजूद सम्यक तामिल अप्रार्थी अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी का सही नाम जितेन्द्र कुमार पुत्र रामजीवन है। परन्तु राजस्व रिकाई तैयार करते समय सहवन से लिपिकीय त्रुटिवश गलत नाम जितेन्द्र कुमार पुत्र रामनिवास दर्ज कर दिया गया है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी ने प्रार्थना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:57:32 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्र के समर्थन में राजस्व ग्राम झीराणा का नामान्तरकरण संख्या 622 की प्रति व अन्य राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत किया हैं जिनमें प्रार्थी का नाम जितेन्द्र कुमार पुत्र रामजीवन है, एवं बतौर साक्ष्य पंकज यादव पुत्र जितेन्द्र कुमार यादव एवं स्वंय के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताकीद होती हैं। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य पंकज यादव पुत्र जितेन्द्र कुमार यादव के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जितेन्द्र कुमार पुत्र रामनिवास अंकित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी का सही नाम जितेन्द्र कुमार पुत्र रामजीवन है की पुष्टि राजस्व ग्राम झीराणा का नामान्तरकरण संख्या 622 की प्रति व अन्य राजस्व रिकॉर्ड की प्रति से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना **आदेश** उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि पटवार हल्का झीराणा तह. नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 88 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम **जितेन्द्र कुमार पुत्र रामनिवास** के स्थान पर **जितेन्द्र कुमार पुत्र रामजीवन** दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:57:32 IST
Reason: Self Attested